टी0ए0 मिस केस सं0 151/2019-20

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
21.08.19	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **श्री उदय देवगम, पिता– स्व0 रतना देवगम, ग्राम– पुराना चाईबासा, थाना– मुफ्फसिल, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा** ने **मौजा– लुपुगुंटू, थाना– 645, खाता नं०– 09, प्लॉट नं०– 593, रक्वा– 0.14 एकड़ भूमि क्रेता साधुचरण देवगम, पिता– स्व0 जुरिया देवगम, ग्राम– पुराना चाईबासा, थाना– मुफ्फसिल** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, **सदर चाईबासा** से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट ह ोता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के दादा के नाम पर खतियान में दर्ज है।आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।** अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 562, दिनांक–. **13.08.2019** द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने एंव डाक्टरी उपचार हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **साधुचरण देवगम, पिता– स्व0 जुरिया देवगम,** ग्राम–**पुराना चाईबासा, थाना– मुफ्फसिल,** के पास 5,20,000.00/–(पांच लाख बीस हजार) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना **मुफ्फसिल** के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का विक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, **सदर चाईबासा** एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक **श्री उदय देवगम, पिता– स्व0 रतना देवगम,** ग्राम–**पुराना चाईबासा,** क्रेता **साधुचरण देवगम, पिता– स्व0 जुरिया देवगम,** ग्राम–**पुराना चाईबासा, थाना– मुफ्फसिल** के पास 5,20,000.00/–(पांच लाख बीस हजार) रूपये मे मौजा– लुपुगुंटू, **थाना– 645,** खाता नं०– 09 प्लॉट नं०– 593, रक्वा– 0.14 एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ....अनुमति.... दी जाती है। लेखापित। (हस्ताक्षर) 21/8 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। (हस्ताक्षर) 21/8/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner